



405

पूर्वोत्तर रेलवे

1/19/2017

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०सं०-3-24

क्रमांक-141/2017

आरबीई सं०-108/2017

सं० ई/122/8/भाग-XI(2017)/IV

दिनांक 18-09-2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का
कार्यान्वयन-राष्ट्रीय अवकाश भत्ता।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० ई(पी एण्ड ए)।-2017/एच.एल./1 दिनांक 30.08.2017
की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर
प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू० पी० सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूरु/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूरु/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर०-02 प्रतियों में।
- 6- मुकाय्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

07 SEP 2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2
19/2017

PC-VII No. 46

RBE No. 108/2017

New Delhi, dated 30.08.2017. 08.09.17

No. E(P&A)-2017/HL/1

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.

NER, Gorakhpur

Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission
accepted by the Government – National Holiday Allowance.

Consequent upon the decisions taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to revision of allowances, the President is pleased to revise the rates of National Holiday Allowance as under:

Level in the Pay Matrix (VII CPC)	Rate of Allowance (per day)
1 and 2	₹384
3 to 5	₹477
6 to 8 (limited to non-gazetted staff)	₹630

- The rates of this allowance will further increase by 25 percent each time DA rises by 50 percent.
- The revised rates of allowance shall be admissible with effect from the 1st July, 2017.
- The other terms and conditions as contained in Board's letter No. E(P&A)-97/HL/2 dated 18.02.1998 for grant of this allowance shall remain unchanged.
- This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
- Please acknowledge receipt.

Anil Kumar
(Anil Kumar)

Dy. Director/E(P&A)-I
Railway Board.

No. E(P&A)-2017//HL/1

New Delhi, dated 30.08.2017

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

3
19/1/2017

पीसी-VII सं. 46

आरबीई सं. 108/2017

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

सं.ई(पी एवं ए)-2017/एचएल/1

महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन -
राष्ट्रीय अवकाश भत्ता।

भत्तों के संशोधन के संबंध में सातवें केंद्रीय आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति सहर्ष राष्ट्रीय अवकाश^{भत्ते} की दरों में निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

पे मैट्रिक्स (VII सीपीसी) में लेवल 7	भत्ते की दर (प्रति दिन)
1 और 2	₹384
3 से 5	₹477
6 से 8 (केवल गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए)	₹630

- प्रत्येक बार डीए में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर इस भत्ते की दर में भी 25 प्रतिशत की और वृद्धि की जाएगी।
- इस भत्ते की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से स्वीकार्य होंगी।
- इस भत्ते के संबंध में बोर्ड के दिनांक 18.02.1998 के पत्र सं. ई(पी एवं ए)-97/एचएल/2 में अंतर्विष्ट अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
- कृपया पावती दें।

अनिल कुमार
(अनिल कुमार)

उप निदेशक/ई(पी एवं ए)-1

रेलवे बोर्ड

सं.ई(पी एवं ए)-2017/एचएल/1

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अयोधित।

सुनील कुमार
कृते वित्त आयुक्त/रेलें